

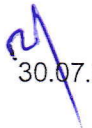
श्री नंद किशोर बाजपेयी बनाम ज०सू०अधि०कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड पंडरी कृपाल गोण्डा

डॉ दिलीप कुमार अग्निहोत्री मा० राज्य सूचना आयुक्त

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई आवेदक श्री नंद किशोर बाजपेयी द्वारा एक रिट याचिका संख्या C.No.-6819 of 2025 में दिनांक 22.07.2025 को मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दायर की गई। उक्त पत्रावली में मा० उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि उक्त आदेश प्राप्त होने के बाद दो माह में गुण-दोष के आधार पर सुनवाई किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं, तत्कम में उक्त पत्रावली में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत की जाये, तथा प्रतिवादी, जनसूचना अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पंडरी कृपाल गोण्डा को निर्देशित किया जाता है कि वादी के मूल आवेदन पत्र दिनांक 11.10.2023 के क्रम में वांछित सूचनायें तीन दिन के अंदर पंजीकृत डाक के माध्यम से वादी को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। तथा उसकी एक प्रति अगली सुनवाई तिथि पर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली तिथि पर जनसूचना अधिकारी स्वयं उपस्थित हो।

वाद वास्ते सुनवाई दिनांक 11.08.2025 को पेश हो।


30.07.2025